Jans have been warned that they will be taken to task and they will be ruined I say that the hon Home Minister should make a statement on this

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour). This is a very serrous matter. The Minister thould make the statement today. A harijan woman was burnt alive

SHRI K. S CHAVDA: This is a very serious matter. Once again, I say, the Home Minister, Shii Dikshit Ji, should make a statement on this as early as possible

Secondly, I have given a Call Attention regarding what recently happened in Ahmedabad...

MR SPEAKER: I allowed him only this.

SHRI K S CHAVDA: I request you to please ask the Home Minister to make a statement on that as early as possible

MR SPEAKER Yes.

(ii) ISSUE OF ORDINANCES BY THE GOVERNMENT OF BIHAR

श्री मध्य लिमये (बांका) ग्राज मै सदन के मामने एक महत्वदूर्ण सर्वधानिक सवाल रखना चाहता हु। मेरे खयाल मे एक ग्रमें से बिहार राज्य और दूसरे राज्यों में भी यह होता होगा लेकिन मुझे इसकी निष्चित जानकारी नहीं है--पविधान की धारा 213 के नहन जो मध्यादेश जारी किए जाते है उनके बारे में अकसर ऐसा होता है कि उनको विधान सभा भौर विधान परिषद के सामने रख कर विधयकों के रूप में ग्रधिनियम या एक्ट के रूप मे पास करवाने के बजाय लैप्स होने दिया जाता है। कभी विधान सभा या विधान परिषद के सामने ये नही ग्राते हैं। लेप्स होने के बाद जब विधान मडल की बैठक स्थगित हो जाती है तो उन मार्डिनैंसिस को फिर से जारी किया जाता, रीडशू किया जाता है। लगातार ऐसा इन

प्रध्यादेशों के बारे में हुआ है। इस सिलसिलें में गृह मंत्री श्री राम निवास मिर्धा से मैंने बात की है भीर उन्होंने मुझे कहा है कि कोई दफा बिहार—सरकार को हम लोग लिख चुके हैं भीर हमने कहा है कि संविधान की मर्यादा के विपरीत यह है भीर भापको ऐसा नहीं करना चाहिये लेकिन बिहार की सरकार बिल्कुल नहीं मुन रही है।

दो तीन संवैधानिक बाते धापके मामने में रखा चाहता हू। क्या ध्रव समय नही धाया है कि यह मदन इन मामलों पर ध्रपनी तवज्जह दे धीर मविधान की जो धाराय है उनका पालन राज्य सरकार से करावाए ? 213 धारा है भीर ध्रपने यहा 123 ह जो तकरीवन उमी की तरह है, थोडा बहुत फर्क है। लेकिन मध्यादेशों के लिए एक स्थिति का होना जरूरी हो जाता है। इस में लिखा हुआ है:

213 (1) If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances prepar to him to require."

इस में एक शर्त है कि अगर राज्यपाल की यह राय है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिये और विधान महल की बैठक नहीं च रही हैनों वह अध्यादेण जारी करता है। इसिडिएट ऐकशन का यह मतलब है कि पहले मौके पर, पहला अवसर मिलते ही विधान मडल के सामने यह अध्यादेश विधेयक के रूप में आना चाहिये और विधान मडल के द्वारा इसकी पुष्टि होनी चाहिये। हमारे यहां भी केन्द्र के द्वारा अध्यादेश जारी किये जाते हैं। कभी कभी हम लोग भ्रपना प्रोटस्ट भी करते हैं कि पार्लियामैट का जब जल्दी सन्न होने वाला है तो भाप क्यों ग्रध्यादेश जारी करते हैं। ध्रगर तत्काल कार्रवाई करने की कोई मावश्यकता नहीं है तो भ्रापने भध्यादेश क्यों जारी किया। लेकिन कम से कम केन्द्र में ग्राज तक जब भी ग्रध्यादेण जारी हए तो उनको जब पार्लियामैट का मत्र भ्रा जाता है तो उसमे तत्काल रखा जाता है . उम बहम करने का मौका मिलता है भौरइनको कान्न का ग्रिधिनियम का रूप दिया जाता है। मेरा केवल यह मुद्दा नही है कि द्यार्डिनम जारी करके सविधान की हत्या की जाती है। मेरा महा यह है कि प्रध्यादेश जारी करने के बाद ग्रगर उसकी जारी करने की नात्कालिक ब्रावश्यकता थी वो क्या विधान मण्डल की बठक मे उसको विधयक के रूप में पारित करने की आवश्यकता नहीं थी ? इस नरह से एक दो चार अध्यादेशों के बारे में लगातार होता जाएगा तो ब्राप पूछेगे कि जब वें लैप्स हो जाने है ना वे कानन नहीं रहने है भीर उस ग्रवस्था म जब साधारण नागरिक जो उसमे प्रभावित है वह ग्रदालन में क्यो नहीं जाता है श्रीप जान नहीं है कि प्रदालत के मामने जाना साधारण नागरिक के लिए सम्भव नही हे ग्रीर इसके ऊपर बरमी तक फैसला नही होता है। इमलिए यह सिलसिला चलना रहा है।

इसके बारे में श्राप मंत्रिधान की 159 धारा देखें। गतनंर को कसम खानी पड़ती है। इसमें में लिखा उपा है

"I, A.B., de swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of...... (name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of.....

उसी तरह तीसरे शड्यूल में मन्त्री द्वारा भी क्रोथ ली जाती है। इस में इसका पार्र दिया हक्षा है

"Form of oath of office for a Minister for a State:-

"I. A B., do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithtully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of . . . and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or illwill"

ऐसी हालत में जो एक कातून बनाने की प्रतिया है, लेंजिएलेटिय प्रीमेस है इसकी जन इस त ह दिन दहाड़ हत्या हो रही है तो कन समय नहीं शाया है कि पालि मिट इसके बारे में राय बताए? अगर प्रापकी यह सलाह है कि इसके बारे में में कार्ट सबस्टाटिय मोणन दना प्रान्ती सलाह के प्रतुप्त में प्रधानमन्त्री में गवर्नर ने प्रारंग प्रदान प्रमान के प्रमुखान प्रदेश के कि दिस प्रयोग करना चाहता हू कि इस तीनों का यह दायिन्य है कि राज्य में सबिधान

श्राएस० एम० बनजो 'श्रो ५ खर्रान चली ग्रहमद में करिये।

अश्मधुलिन से मैं तो श्री तिर्दाब नाश्चर में करवाएँ ग्रें अगर के जीन जाये गे तो उन में काम हम करवाएँ गे अपील उन से करने की त्या जरूरत है ? वह बल्त अच्छे ब्रादमी है आर वह मित शान का पालन करेगें। लेकिन हमी मजाक को ब्राप छोड दे! गम्भीरना पूवक आपको मार्फत प्रधान मन्त्री से, राष्ट्रपति जी से और बिहार के जो गर्वनर है उन से मैं कहना चाहता हूं कि 213 धारा जो संविधान में स्वी गई बी सविधान बनाने वालों का यह कभी ाशा नहीं था कि अध्यादेशों को जारी करने के अधिकार का इस तरह से विधान मण्डल को ताक पर रख कर, बाई पास करके इस्तमाल हो। इसलिए इसके बारे में आप सोच समझ कर जो भी हमें निर्देश दना चाहे दें। अगर आप यह चाहतें है कि कोई सबस्टांटिव मोशन लाई जाए तो हम वह भी ला सकतें है गवर्नर के खिलाफ लानी है तो उनके खिलाफ लाएेंगे। जिस शक्त में आप चाहतं है, मैं रखने के लिए तैयार हं।

MR. SPEAKER: Is the Minister ready or does he want to have some time?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I will place before the House as much information as I have got from the Govt. of Madhya Pradesh as regards the question raised by Shri Chawla. (Interruptions).

MR. SPEAKER: This is an issue not of making a statement. It is purely a Constitutional issue. You better satisfy me why this is being done and then later on we will take it up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He is making a statement on the Harijan issue; he seems to have come prepared for that.

MR. SPEAKER: Not now.

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): Sir, this issue which Mr. Madhu Limaye has raised is an important one. I am only requesting you that it must be taken up seriously; it must be discussed substantively so that the importance of the position like this is realised.

MR. SPEAKER: That is why lawe given my indication on it

SHRI JYOTIMOY BOSU: I want to know ...

MR SPEAKER: No, please. I have allowed only two items. Nothing else please.

13.50 hrs.

CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT BILL- contd.

MR. SPEAKER: Now, we take up the further clause-by-clause consideration of the Cinematograph (Second Amendment) Bill.

We are on clause 5.

Clause 5 (Amendment of section 4)

SHRI MANORANJAN HAZRA (Arambagh): I move;

Page 3,-

for lines 28 to 42, substitute-

"(1A) Any person desiring to export any film for exhibition outside India shall not be allowed to do so if the film has not been certified already by the Board." (23).

MR. SPEAKER: You may continue after lunch

Now we adjourn for lunch and reassemble at 3 p.m.

13.51 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock

The Lok Sabha reassembled after lunch at Three Minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER-in the Chair]

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I wrote to the Speaker about the difficulty that the students are facing in the matter of admission in the Delhi University. In the Department of Economics, the number of seats have been reduced and they are being made to face a lot of difficulties I request you to ask the Government to make a statement on this because the young students are being put to trouble. This is a serious matter.